



दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर मौजा लाम्बा तहसील हुरडा की आराजी नं.- 2093/716 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि के खातेदान काशतकारान के मध्य उनके हक हिस्से व कब्जेनुसार भूमि व लगान विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार हुरडा को निर्देश दिये जाते है कि वह आज ही भूमि व लगान का विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय लगान फाटनी प्रस्तुत करें । निर्णय आज 21.06.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट लाम्बा पर सुनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुर
जिला-भीलवाड़ा

29.06.2018

तहसीलदार हुरडा के द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज वृत्त केम्प में पेश हुई । वकील वादी प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का विवरण निम्न प्रकार है :-

1- गोवर्धन पिता भोमा दरोगा साकिन देह के हिस्से में :-

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
लाम्बा	2093/716/1	01 बीघा 07 बिस्वा	0.54
कुल किता 1		01 बीघा 07 बिस्वा	0.54

2- भोलू पिता भोमा दरोगा साकिन देह के हिस्से में :-

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
लाम्बा	2093/716/2	01 बीघा 07 बिस्वा	0.54
कुल किता 1		01 बीघा 07 बिस्वा	0.54

3- प्रभूलाल पिता भोमा दरोगा साकिन देह के हिस्से में :-

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
लाम्बा	2093/716/3	01 बीघा 07 बिस्वा	0.54
कुल किता 1		01 बीघा 07 बिस्वा	0.54

4- सीता बेवा भोमा दरोगा साकिन देह के हिस्से में :-

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
लाम्बा	2093/716	01 बीघा 09 बिस्वा	0.58
कुल किता 1		01 बीघा 09 बिस्वा	0.58

उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया । उपस्थित वकील वादी के द्वारा तहसीलदार हुरडा से उक्त प्राप्तसुदा विभाजन प्रस्ताव को सही होकर स्वीकार किया जाना जाहिर किया है ।

मैने भी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया । तदनुसार तहसीलदार हुरडा से उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है । तथा इसी अनुरूप प्रकरण मे अंतिम डिक्री पर्चा तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते है । तदनुसार अन्तिम डिक्री पर्चा तैयार किया जावे पत्रावली सुमार फेसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 29.06.2018 को खुली अदालत में सुनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official